JALAUN POLICE

दिनांक – 20.09.2026

कोतवाली उरई पुलिस द्वारा रंगदारी के मुकदमे में वांछित कुख्यात सजायाफ्ता अपराधी महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ महेन्द्र सिंहानिया व उसके 02 साथी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर, पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 543/26 धारा 308(5), 308(6), 352, बीएनएस में वांछित कुख्यात सजायाफ्ता अपराधी महेन्द्र सिंहानिया व गैंग के दो अन्य अभियुक्त शंकर कुशवाहा व अभियुक्ता पूजा कुशवाहा को रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पूछताछ व विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि अभियुक्त महेन्द्र सिंहानिया उपरोक्त का एक सगंठित गिरोह है जिसमें पूजा कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, यशपाल उर्फ बब्बू, शकील उर्फ रिहान आदि इनके द्वारा फर्जी जमीनों की खरीद फरोख्त की जाती है और ग्राहकों को फंसा कर रुपये ऐठे जाते है। विरोध करने पर उन पर रंगदारी, बलात्कार एवं एससी/एसटी एक्ट आदि के फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। महेन्द्र सिंहानिया पूर्व में मादक पदार्थो के तस्करी में लिप्त रहा है जिसके सम्बन्ध में जनपद जालौन के विभिन्न थानो में मादक पदार्थ तस्करी के एक दर्जन से अधिक अभियोग दर्ज है और एक मादक पदार्थ के तस्करी के मुकदमे में 10 वर्ष की सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में महेन्द्र सिंहानिया उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर था उक्त मुकदमे के शेष/वांछित अभियुक्तगण यशपाल उर्फ बब्बू एवं शकील उर्फ रिहान को शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्तगण का विवरण–

1.महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ महेन्द्र सिंहानिया पुत्र स्व0 गयाप्रसाद वर्मा निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना कोत0 उरई जनपद जालौन उम्र करीब 53 वर्ष

2.शंकर कुशवाहा पुत्र रामआसरे कुशवाहा उम्र करीब 55 वर्ष निवासी मोहल्ला बघौरा थाना कोत0 उरई जनपद जालौन

3.पूजा कुशवाहा पुत्री शंकर कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मोहल्ला बघौरा थाना कोत0 उरई जनपद जालौन

आपराधिक इतिहास महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ महेन्द्र सिंहानिया

1. मु0अ0सं0 564/2026 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना कोत0उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 521/1999 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली कालपी जालौन
3. मु0अ0सं0 708/1999 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली उरई जालौन
4. मु0अ0सं0 82/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली उरई जालौन
5. मु0अ0सं0 125/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट व 60 आब0 एक्ट थाना एट जालौन
6. मु0अ0सं0 126/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट व 60 आब0 एक्ट थाना एट जालौन
7. मु0अ0सं0 127/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट व 60 आब0 एक्ट थाना एट जालौन
8. मु0अ0सं0 128/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट व 60 आब0 एक्ट थाना एट जालौन
9. मु0अ0सं0 172/2000 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन
10. मु0अ0सं0 411/2002 धारा 307/120 बी भादवि0 थाना कोतवाली उरई जिला जालौन
11. मु0अ0सं0 431/2008 धारा420/467/468/471 /120 बी भादवि0 थाना कोतवाली उरई जिला जालौन
12. मु0अ0स0 317/2010 धारा 420/467/468/471 /120 बी भादवि0 थाना कोतवाली उरई जिला जालौन
13. मु0अ0सं0 71/2021 धारा 420 भादवि0 थाना कोतवाली उरई जालौन
14. मु0अ0सं0 364/2025 धारा 115(2), 3(5), 324(4), 351(2) बीएनएस थाना कोत0 उरई जिला जालौन
15. एनसीआर नं0 80/2025 धारा 115(2)/352/ 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई जिला जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय पुलिस टीम